



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 63252

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 2970 वर्ष 2025

जय राम गौड़

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 17 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता : नीलाद्रि शेखर सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अजिताभ कुमार चौबे, के.एस.के., रामेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नीलाद्रि शेखर सिंह, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला की ओर से उपस्थित श्री प्रेम बहादुर सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 6 एवं 7 की ओर से श्री अजिताभ कुमार चौबे को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है:-

“(i) प्रतिवादी प्राधिकारियों को निजी प्रतिवादियों द्वारा प्रश्नगत भूमि, अर्थात् गाटा संख्या 1716, क्षेत्रफल 0.3600 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेखों में चकरोड के रूप में दर्ज है तथा ग्राम-सोनबरसा, परगना-द्वाबा, तहसील-बैरिया, जिला-बलिया में स्थित है, पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

“(ii) प्रतिवादी संख्या 3 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत ग्राम सभा की भूमि, अर्थात् गाटा संख्या 1716 (जो राजस्व अभिलेखों में चकरोड के रूप में दर्ज है), ग्राम-सोनबरसा, परगना-द्वाबा, तहसील-बैरिया, जिला-बलिया से अतिक्रमणकारियों की बेदखली के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंध में उनके द्वारा स्वयं दिनांक 23.09.2023 को पारित आदेशों का अनुपालन करने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।”

3. इस न्यायालय के दिनांक 23.09.2023 के आदेश द्वारा विद्वान स्थायी अधिवक्ता को मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। आज जब मामले को लिया गया, तब उप जिलाधिकारी, प्रभारी तहसीलदार, बैरिया, बलिया से प्राप्त निर्देश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
4. उक्त निर्देशों के अवलोकन से पता चलता है कि ग्राम सोनबरसा, तहसील-बैरिया, जिला-बलिया स्थित गाटा संख्या 1716, जो संबंधित राजस्व अभिलेखों में चकरोड के रूप में दर्ज है, पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(1) के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। उक्त कार्यवाही में तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.09.2023 को बेदखली तथा क्षतिपूर्ति की वसूली का आदेश पारित किया गया था। अतिक्रमणकारियों को उनके आपत्तिजनक निर्माण हटाने के लिए नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
5. प्रतिवादी संख्या 6 एवं 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 2324 of 2022 में दिनांक 07.12.2022 को पारित आदेश प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा आवेदक द्वारा पूर्व में दाखिल जनहित याचिका को आवश्यक अभिकथनों के अभाव में खारिज कर दिया गया था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(1) के अंतर्गत कार्यवाही में दिनांक 23.09.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध रिकॉल आवेदन दाखिल किए गए हैं, जो विचाराधीन हैं।
6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
7. वर्तमान रिट याचिका में मांगी गई राहत राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश के अनुपालन से संबंधित है। इस प्रकार की राहत के लिए वर्तमान रिट याचिका, इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा मनभावती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2020 1 एडब्ल्यूसी 789ए में रिपोर्टेड तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिट-सी संख्या 2018 वर्ष 7863 (ब्रज भूषण राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 6 अन्य) के मामले में दिए गए निर्णय के दृष्टिगत, पोषणीय नहीं है।

8. जैसा कि निर्देशों से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 67 के अंतर्गत दिनांक 23.09.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में अतिक्रमणकारियों को आपत्तिजनक निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं, अतः इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा किसी और जांच का निर्देश दिया जाना आवश्यक नहीं है।
9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका का निस्तारण प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह वर्तमान रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 4 से 17 के रूप में सम्मिलित अतिक्रमणकारियों द्वारा दाखिल लंबित रिकॉल आवेदनों का आज से एक माह के भीतर निस्तारण करें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कार्रवाई करें कि संहिता की धारा 67 के अंतर्गत अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रारंभ की गई कार्यवाही अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाई जाए।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार)

26 मार्च, 2026

रणजीत साहू

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।